न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–श्री गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 82 / 18 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री कृष्ण गौ शाला रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा बजरिये अध्यक्ष – महंत मदन मोहनदास, नृसिंह द्वारा रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. भंवरलाल आत्मज मोहन खटीक आयु वयस्क निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. घीसुलाल आत्मज मोहन खटीक आयु वयस्क निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. पुलिस थाना रायपुर जिला भीलवाड़ा बजरिये थानाधिकारी पुलिस थाना रायपुर।

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश टेलर – अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 03.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार हैं कि ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी श्री कृष्ण गौशाला के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 1723 रकबा 0.38 है0 भुमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 557 पर स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 तके मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थी की उक्त आराजी के चारों तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को घास काटने, मवेशी वगैरा चराने एवं कृषि लाभ प्राप्त करने में भारी अड़चन पैदा रहती हैं। जिससे प्रार्थी उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं। विपक्षीगण संख्या एक लगायत तीन प्रार्थी की उक्त आराजी के पड़ौसी होने से विपक्षीगण बनाये गये हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगण को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् अंतिम बार दिनांक 15.06.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढ़ी कराने से इंकार हो गए, जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 15.06.2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं और प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 28.08.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 के विरूद्ध प्रार्थी के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे स्थित आराजी संख्या 1723 रकबा 0.38 हैक्ट. भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 200/– अक्षरे चार सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 03.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा